

# भारत का वन सेक्टर

## 1. अभिलिखित वन क्षेत्र और वन आवरण

### अभिलिखित वन क्षेत्र

**वन क्षेत्र** या **अभिलिखित वन क्षेत्र** शब्द का सामान्यतः उन सभी भौगोलिक क्षेत्रों के लिए उपयोग किया जाता है, जो सरकारी अभिलेखों में वन के रूप में दर्ज हैं। इसमें मुख्यतः **संरक्षित वन (Reserved Forest - RF)** और **सुरक्षित वन (Protected Forest - PF)** शामिल होते हैं, जो **भारतीय वन अधिनियम, 1927** के प्रावधानों के तहत गठित किए गए हैं। इस श्रेणी में राजस्व अभिलेखों में वन के रूप में दर्ज क्षेत्र या किसी राज्य अधिनियम या स्थानीय कानूनों के तहत वन के रूप में गठित क्षेत्र भी शामिल हो सकते हैं।

### वन आवरण

**वन आवरण** शब्द उन सभी भूमि क्षेत्रों को संदर्भित करता है, जो एक हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के हैं और जिनमें वृक्षों की छत्रछाया घनत्व 10% से अधिक है।

### वृक्ष आवरण

**वृक्ष आवरण** उन वृक्षों के समूहों को संदर्भित करता है, जो एक हेक्टेयर से कम आकार के क्षेत्रों में होते हैं, जिसमें अभिलिखित वन क्षेत्रों के बाहर के अलग-थलग वृक्ष भी शामिल हैं।

### वन आवरण आकलन में अन्य क्षेत्र

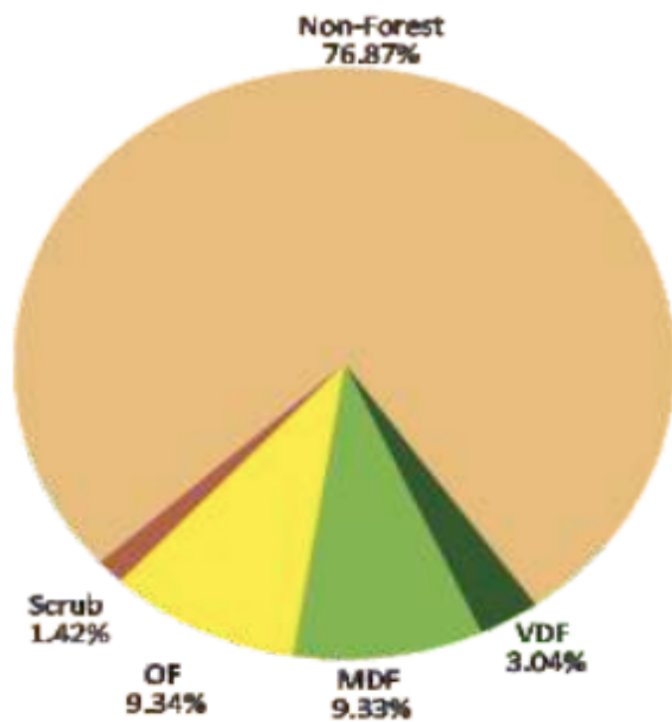
- **वन क्षेत्र** शब्द का उपयोग भूमि की कानूनी स्थिति को दर्शाने के लिए किया जाता है, जबकि **वन आवरण** शब्द का उपयोग किसी भी भूमि पर वृक्षों की उपस्थिति को दर्शाने के लिए किया जाता है, चाहे उसकी कानूनी स्थिति कुछ भी हो।
- यद्यपि अधिकांश अभिलिखित वन क्षेत्रों में वनस्पति आवरण होता है, फिर भी कुछ क्षेत्रों में रिक्त स्थान, वृक्ष घनत्व 10% से कम, या यहां तक कि वृक्षों की अनुपस्थिति जैसे कि आर्द्रभूमि, मैंग्रोव के क्रीक और शोलाओं के घास के मैदान भी हो सकते हैं।
- इसके विपरीत, अभिलिखित वनों के बाहर के ऐसे क्षेत्र भी हैं, जिनमें वृक्ष समूह एक हेक्टेयर या उससे अधिक के हैं और जिनमें छत्रछाया घनत्व 10% से अधिक है, जैसे कि सामुदायिक भूमि पर वृक्षारोपण, नीलगिरी, रबर, चाय और कॉफी के बागान। ये क्षेत्र भी **वन आवरण** का हिस्सा होते हैं और इनका आकलन **भारतीय वन सर्वेक्षण (Forest Survey of India - FSI)** द्वारा किया जाता है।

### वन आवरण वर्गीकरण

**वन आवरण** का वर्गीकरण तीन श्रेणियों में किया गया है:

- **घना वन (Very Dense Forest - VDF):** इसमें वे सभी भूमि क्षेत्र शामिल होते हैं, जिनमें वृक्षों की छत्रछाया घनत्व **70% और उससे अधिक** होती है।

- **मध्यम घना वन (Moderately Dense Forest - MDF):** इसमें वे सभी भूमि क्षेत्र शामिल होते हैं, जिनमें वृक्षों की छत्रछाया घनत्व **40% से 70%** होती है।
- **खुला वन (Open Forest - OF):** इसमें वे सभी भूमि क्षेत्र शामिल होते हैं, जिनमें वृक्षों की छत्रछाया घनत्व **10% से 40%** होती है।
- **झाड़ीदार वन (Scrub):** इसमें वे क्षतिग्रस्त वन क्षेत्र शामिल होते हैं, जिनमें छत्रछाया घनत्व 10% से कम होता है।
- **अवन क्षेत्र (Non-Forest):** इसमें वे भूमि क्षेत्र शामिल होते हैं, जो उपर्युक्त वन आवरण या वन क्षेत्र की किसी भी श्रेणी में नहीं आते हैं।



**Figure.1. Pie Chart showing Forest Cover of India in 2021**

Figure.2. Forest Cover 2021

| Table: Forest and Tree cover of India in 2021 |              |                                 |
|-----------------------------------------------|--------------|---------------------------------|
| Class                                         | Area (sq km) | Percentage of Geographical Area |
|                                               | Forest Cover |                                 |
| Very Dense Forest                             | 99,779       | 3.04                            |
| Moderately Dense Forest                       | 3,06,890     | 9.33                            |
| Open Forest                                   | 3,07,120     | 9.34                            |
| Total Forest Cover *                          | 7,13,789     | 21.71                           |
| Tree Cover                                    | 95,748       | 2.91                            |

## 2. भारत वन स्थिति रिपोर्ट (ISFR) 2021

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने 13 जनवरी 2022 को द्विवार्षिक **भारत वन स्थिति रिपोर्ट (India State of Forest Report - ISFR) 2021** जारी की। **भारतीय वन सर्वेक्षण (Forest Survey of India - FSI)**, जो MoEFCC के अंतर्गत एक संगठन है, पूरे देश में वन और वृक्ष आवरण का मानचित्रण कर रहा है।

- वन आवरण मानचित्रण 1987 में शुरू हुआ, और तब से 17 चक्रों में वन आवरण मानचित्रण पूरा हो चुका है।
- ISFR 2021 का आकलन **लिनियर इमेजिंग सेल्फ-स्कैनिंग सेंसर 3 (LISS-III)** डेटा की व्याख्या पर आधारित था, जो भारतीय रिमोट सेंसिंग उपग्रह डेटा (**Resourcesat-II**) से प्राप्त किया गया था।
- पूरे देश के लिए उपग्रह डेटा **नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर (NRSC)** से अक्टूबर से दिसंबर 2019 की अवधि के लिए प्राप्त किया गया था।

### ISFR 2021 की नई पहल और विशेषताएं

ISFR 2021 में कई नई पहल और विशेषताओं को शामिल किया गया:

- भारत के **बाघ अभयारण्यों, कोरिडोरों और सिंह संरक्षण क्षेत्र** में वन आवरण के आकलन के लिए एक नया अध्याय शामिल किया गया है।
- रिपोर्ट में दो विशेष अध्ययनों के परिणाम प्रस्तुत किए गए हैं: **सिंथेटिक एपर्चर रडार डेटा** का उपयोग करके **ऊपरी भूमि जैवमास का आकलन** (ISRO के साथ मिलकर संचालित) और **वन क्षेत्रों में जलवायु हॉटस्पॉट** (BITS पिलानी, गोवा कैंपस के साथ मिलकर संचालित)।
- रिपोर्ट में भारत की **राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC)** प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति का भी वर्णन किया गया है, जिसे **वन कार्बन आकलन** अध्याय में शामिल किया गया है।

### ISFR 2021 के प्रमुख निष्कर्ष

### कुल वन और वृक्ष आवरण

- भारत का कुल वन और वृक्ष आवरण **80.9 मिलियन हेक्टेयर** रिपोर्ट किया गया है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का **24.62%** है।
- देश के कुल वन और वृक्ष आवरण में **2261 वर्ग किमी** की वृद्धि देखी गई है।
- वन आवरण में वृद्धि मुख्य रूप से **खुले वनों** में देखी गई है, उसके बाद **घने वनों** में।

### वन आवरण में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष पांच राज्य

- **आंध्र प्रदेश:** 647 वर्ग किमी
- **तेलंगाना:** 632 वर्ग किमी
- **ओडिशा:** 537 वर्ग किमी
- **कर्नाटक:** 155 वर्ग किमी
- **झारखंड:** 110 वर्ग किमी

### सबसे बड़े वन आवरण वाले राज्य

- **मध्य प्रदेश** में देश का सबसे बड़ा वन आवरण है, इसके बाद **अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, और महाराष्ट्र** का स्थान आता है।

### कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आवरण

- **मिजोरम:** 84.53%
- **अरुणाचल प्रदेश:** 79.33%
- **मेघालय:** 76.00%
- **मणिपुर:** 74.34%
- **नागालैंड:** 73.90%

### वृक्ष आवरण

- भारत का वृक्ष आवरण **95,748 वर्ग किमी** आंका गया है, जो भौगोलिक क्षेत्र का **2.91%** है।
- देश के वृक्ष आवरण में **721 वर्ग किमी** की वृद्धि देखी गई है।

### वनों के बाहर के वृक्ष (TOF)

- भारत में लकड़ी का कुल बढ़ता स्टॉक **6167.50 मिलियन क्यूबिक मीटर** आंका गया है।
  - इसमें से **4388.15 मिलियन क्यूबिक मीटर** वन क्षेत्रों के भीतर है, और **1779.35 मिलियन क्यूबिक मीटर** अभिलिखित वन क्षेत्रों के बाहर है (TOF).

### बांस का स्टॉक

- बांस की कुल संख्या में **13,882 मिलियन** की वृद्धि हुई है।
- राष्ट्रीय स्तर पर बांस की कुल अनुमानित हरित भार **402 मिलियन टन** है।

#### मैंग्रोव आवरण

- भारत में कुल मैंग्रोव आवरण **4992 वर्ग किमी** है।
- मैंग्रोव आवरण में **17 वर्ग किमी** की वृद्धि देखी गई है।
- मैंग्रोव आवरण में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष तीन राज्य:
  - ओडिशा: 8 वर्ग किमी
  - महाराष्ट्र: 4 वर्ग किमी
  - कर्नाटक: 3 वर्ग किमी

#### कुल कार्बन स्टॉक

- भारत के वनों में कुल कार्बन स्टॉक **7204 मिलियन टन** आंका गया है।
- 2019 के बाद से देश के कार्बन स्टॉक में **79.4 मिलियन टन** की वृद्धि हुई है।

#### वन अग्नि प्रवण क्षेत्रों का मानचित्रण

- FSI 2004 से वन अग्नियों की निगरानी कर रहा है।
- कुल अग्नि प्रवण वन क्षेत्र वन आवरण का **35.47%** है।

#### बाघ अभयारण्य और सिंह संरक्षण क्षेत्र में वन आवरण और दशकीय परिवर्तन

- 52 बाघ अभयारण्यों में वन आवरण **55,666.27 वर्ग किमी** है, जो देश के कुल वन आवरण का **7.80%** और बाघ अभयारण्यों के कुल क्षेत्र का **74.51%** है।
- बाघ अभयारण्यों के क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में वन आवरण के मामले में शीर्ष पांच बाघ अभयारण्य हैं:
  - पक्के (अरुणाचल प्रदेश): 96.83%
  - अचनकमार (मध्य प्रदेश): 95.63%
  - सिमलीपाल (ओडिशा): 94.17%
  - काली (कर्नाटक): 92.45%
  - डंपा (मिजोरम): 92.05%
- गिर वन्यजीव अभयारण्य (राष्ट्रीय उद्यान को छोड़कर) में **177.60 वर्ग किमी** घास का मैदान है, जबकि गिर राष्ट्रीय उद्यान में **33.58 वर्ग किमी** घास का मैदान है, जो कुल **211.18 वर्ग किमी** है।

## भारतीय वनों में जलवायु परिवर्तन हॉटस्पॉट का मानचित्रण

- भारत के वन आवरण पर जलवायु हॉटस्पॉट का मानचित्रण तीन भविष्य की समयावधियों के लिए किया गया है: वर्ष 2030 (अल्पकालिक जलवायु कार्रवाई क्षितिज), 2050 (दीर्घकालिक जलवायु कार्रवाई लक्ष्य), और 2085 (दीर्घकालिक समयावधि)।
- लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, और उत्तराखंड में तापमान में सबसे अधिक वृद्धि होने का अनुमान है।
- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल, गोवा, तमिलनाडु, और आंध्र प्रदेश में इन अवधियों में सबसे कम तापमान वृद्धि का अनुमान है।
- उत्तर-पूर्वी राज्य और भारत के ऊपरी मालाबार तट में वर्षा में सबसे अधिक वृद्धि का अनुमान है।

## प्रमुख महानगरों में वन आवरण का मानचित्रण

- सात प्रमुख शहरों में कुल वन आवरण **509.72 वर्ग किमी** है, जो इन शहरों के कुल भौगोलिक क्षेत्र का **10.21%** है।
- दिल्ली में सबसे बड़ा वन आवरण है (**194.24 वर्ग किमी**), इसके बाद मुंबई (**110.77 वर्ग किमी**) और बेंगलुरु (**89.02 वर्ग किमी**) का स्थान आता है।
- हैदराबाद में वन आवरण में **48.65 वर्ग किमी** की अधिकतम दशकीय वृद्धि देखी गई है।

## भारत के बांस संसाधन

- बांस भारत में कश्मीर क्षेत्र को छोड़कर प्राकृतिक रूप से उगता है।
- भारत में बांस का क्षेत्र सबसे बड़ा है (13.96 मिलियन हेक्टेयर) और बांस विविधता में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है, जिसमें 136 प्रजातियां (125 स्वदेशी और 11 विदेशी) हैं।

## राष्ट्रीय बांस मिशन (NBM)

राष्ट्रीय बांस मिशन (NBM) को बांस की खेती और व्यावसायीकरण का समर्थन करने के लिए शुरू किया गया था।

- शुरुआत में इसे 2006 में लॉन्च किया गया था।
- इसे 2018-19 में पुनर्गठित किया गया, जिसमें बाजार विकास, मूल्य

वर्धन, उत्पाद विकास, कौशल वृद्धि, और अनुसंधान एवं विकास (R&D) को शामिल किया गया।

- इसे **राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA)** के तहत लागू किया गया है।
- **वित्तीय पैटर्न:**
  - अधिकांश राज्यों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 60:40 के अनुपात में केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना।

- उत्तर-पूर्वी और पहाड़ी राज्यों के लिए 90:10।
- केंद्र शासित प्रदेशों, अनुसंधान एवं विकास संस्थानों, बांस प्रौद्योगिकी समर्थन समूह (BTSGs), और राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियों के लिए 100% वित्तपोषण।

### 3. भारत में वन नीतियाँ

#### वन नीति 1894

**1894 की वन नीति** ने भारत में वन प्रबंधन के लिए प्रमुख दिशानिर्देशों की रूपरेखा प्रस्तुत की:

- वन प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य देश की सामान्य भलाई को बढ़ावा देना था।
- पर्याप्त वनों का रखरखाव आवश्यक माना गया, मुख्य रूप से देश की जलवायु और भौतिक परिस्थितियों को संरक्षित करने के लिए, और द्वितीयक रूप से लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए।
- यह कहा गया कि स्थायी खेती को इन दिशानिर्देशों के अधीन वानिकी पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

#### वन नीति 1952

1952 में, एक नई **राष्ट्रीय वन नीति** पेश की गई, जिसने 1894 की पूर्व नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए।

- इस नीति ने पहली बार इस बात पर जोर दिया कि देश के कम से कम 33 प्रतिशत भूमि क्षेत्र को वन आवरण के अधीन होना चाहिए।

#### 1952 की वन नीति की प्रमुख विशेषताएँ:

- नीति ने स्थानीय और राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भरता की अवधारणा का परिचय दिया और विस्तार वानिकी की वकालत की।
- इसने निजी स्वामित्व में शेष सभी वनों पर नियंत्रण, झूम खेती को रोकने, और गाँव के वनों के सृजन का प्रावधान किया।
- नीति ने वन संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण, जलग्रहण प्रबंधन और मिट्टी की उर्वरता और कृषि उत्पादकता में सुधार में वनों की भूमिका के महत्व को रेखांकित किया।
- प्राथमिक जोर स्थायी लकड़ी उत्पादन पर रहा, जिससे असमान वनों के एक बड़े क्षेत्र को समान फसलों में परिवर्तित कर दिया गया।
- राष्ट्रीय वनों के प्रबंधन का मार्गदर्शन इस सिद्धांत से किया जाना था कि रक्षा, संचार और उद्योग की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए प्रगतिशील रूप से बढ़ती हुई स्थायी उपज हो।

#### राष्ट्रीय वन नीति (NFP) 1988

**1988 की राष्ट्रीय वन नीति** ने वन संरक्षण और स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर मुख्य जोर दिया, जिसमें लोगों की भागीदारी के साथ वनों के संरक्षण और प्रबंधन में सहयोग शामिल था।

- इस नीति ने औद्योगिक उपयोग के लिए कच्चे माल के रूप में लकड़ी की आपूर्ति को प्राथमिकता की सबसे निचली श्रेणी में रखा।
- नीति ने देश के कुल क्षेत्रफल का 33 प्रतिशत वनों और वृक्ष आवरण के तहत लाने के लिए एक राष्ट्रीय उद्देश्य निर्धारित किया।
  - यह विस्तार बंजर भूमि के पुनरुत्पादन के माध्यम से कल्पित था, जिसमें 'बाहरी वनों' और अभिलिखित 'वन क्षेत्रों' दोनों को शामिल किया गया।

### **1988 की राष्ट्रीय वन नीति के बुनियादी उद्देश्य:**

- नीति का उद्देश्य पर्यावरणीय स्थिरता बनाए रखना था, जो पारिस्थितिक संतुलन के संरक्षण और आवश्यकतानुसार पुनर्स्थापना के माध्यम से हो सके।
- इसने देश की प्राकृतिक धरोहर को संरक्षित करने की कोशिश की, जिसमें शेष प्राकृतिक वनों का संरक्षण शामिल था, जो विविध प्रकार की वनस्पतियों और जीवों का घर हैं।
- नीति ने नदियों, झीलों और जलाशयों के जलग्रहण क्षेत्रों में मृदा क्षरण और वनविहीनता की जाँच करके मृदा और जल का संरक्षण, बाढ़ और सूखे को कम करना, और जलाशयों के क्षरण को धीमा करने का प्रयास किया।
- इसने देश में वन और वृक्ष आवरण को बड़े पैमाने पर वनीकरण और सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों के माध्यम से काफी हद तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा।
- नीति ने ग्रामीण और आदिवासी आबादी के लिए ईंधन, चारा, छोटे वन उत्पाद और छोटे लकड़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश की।
- इसने वन उत्पादों के कुशल उपयोग और लकड़ी के प्रतिस्थापन को अधिकतम करने को प्रोत्साहित किया।
- नीति का उद्देश्य इन उद्देश्यों को प्राप्त करने और मौजूदा वनों पर दबाव को कम करने के लिए एक विशाल जन आंदोलन, जिसमें महिलाओं की भागीदारी भी हो, का निर्माण करना था।

### **राष्ट्रीय वन नीति (NFP) 2018 का मसौदा**

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2018 में राष्ट्रीय वन नीति का मसौदा जारी किया, जिसका उद्देश्य वनों का संरक्षण, सुरक्षा और प्रबंधन था, जबकि वन प्रबंधन से संबंधित अन्य मुद्दों को भी संबोधित किया गया।

- मसौदे को 2019 में संशोधित किया गया था, लेकिन NFP के अंतिम संस्करण पर अभी तक कोई अपडेट नहीं हुआ है।

### **राष्ट्रीय वन नीति मसौदा 2018 की प्रमुख विशेषताएँ:**

- नीति का उद्देश्य वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लोगों की पारिस्थितिक और आजीविका सुरक्षा की रक्षा करना था, जो वनों के सतत प्रबंधन के माध्यम से संभव हो सके।



- इसने प्रस्तावित किया कि पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्रों को उपयुक्त मृदा और जल संरक्षण उपायों के साथ स्थिर किया जाए, जिसमें उपयुक्त वृक्षों का रोपण शामिल हो।
- नीति ने दो राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं की स्थापना का सुझाव दिया: **राष्ट्रीय सामुदायिक वन प्रबंधन मिशन (CFM)** और **राष्ट्रीय वानिकी बोर्ड (NBF)**।
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल विकसित किए जाने थे, ताकि क्षतिग्रस्त वन क्षेत्रों में वनीकरण और पुनर्वनीकरण गतिविधियों को अंजाम दिया जा सके।
- नीति ने भागीदारी वन प्रबंधन दृष्टिकोण को मजबूत करने की वकालत की, जिसमें **राष्ट्रीय सामुदायिक वन प्रबंधन (CFM) मिशन** की शुरुआत हो।
- नीति ने भारत के भौगोलिक क्षेत्र के 33% क्षेत्र को वन और वृक्ष आवरण के तहत लाने का लक्ष्य जारी रखा, और पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में, इसका उद्देश्य वन और वृक्ष आवरण के तहत दो-तिहाई क्षेत्र बनाए रखना था।

## 4. भारतीय वन अधिनियम, 1927

**भारतीय वन अधिनियम, 1927** को वन कानूनों को एकीकृत करने, वन उत्पादों के परिवहन को विनियमित करने, और लकड़ी और अन्य वन उत्पादों पर शुल्क लगाने के लिए अधिनियमित किया गया था।

- **अधिनियम और संशोधन**
  - यह अधिनियम भारतीय वन अधिनियम, 1878 को निरस्त करने के बाद अधिनियमित किया गया।
  - यह एक केंद्रीय कानून के रूप में कार्य करता है, जिसमें स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न राज्य संशोधन किए गए हैं।
  - कुछ राज्यों ने अपने व्यापक वन कानून बनाए हैं।
- **संरक्षण प्रावधान**
  - वन संरक्षण के लिए प्रावधान करता है।
  - राज्य सरकार को उन वन भूमि या बंजर भूमि को **संरक्षित वन** के रूप में नामित करने का अधिकार देता है, जिन पर सरकार के स्वामित्व अधिकार होते हैं।

### भारतीय वन अधिनियम, 1927 के उद्देश्य

- वनों से संबंधित कानूनों को एकीकृत करना।
- लकड़ी और अन्य वन उत्पादों पर शुल्क लगाना।
- वन अपराधों को परिभाषित करना, संरक्षित वनों के भीतर कुछ कार्यों को प्रतिबंधित करना और उल्लंघनों के लिए दंड निर्धारित करना।
- वन और वन्यजीव संरक्षण में जवाबदेही बढ़ाना।

- वन संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना।
- कृषि और वन गतिविधियों के प्रभावों को संतुलित करना।

## भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत वन प्रकार

अधिनियम वनों को तीन प्रकारों में वर्गीकृत करता है:

- **संरक्षित वन**
  - सबसे अधिक प्रतिबंधित वन।
  - राज्य सरकार द्वारा किसी भी वन भूमि या बंजर भूमि पर जो सरकार के स्वामित्व में है, गठित किए जाते हैं।
  - स्थानीय लोगों को वन अधिकारी की अनुमति के बिना प्रवेश की अनुमति नहीं होती है।
- **सुरक्षित वन**
  - राज्य सरकार द्वारा संरक्षित वनों के अलावा अन्य भूमि पर गठित किए जाते हैं, जहां सरकार के स्वामित्व अधिकार होते हैं।
  - राज्य सरकार ऐसे वनों के उपयोग के बारे में नियम जारी कर सकती है।
- **ग्राम वन**
  - राज्य सरकार द्वारा ग्राम समुदायों को सौंपे गए वन।
  - राज्य सरकार उनके प्रबंधन को विनियमित कर सकती है, लकड़ी या वन उत्पादों की शर्तों को निर्धारित कर सकती है, और संरक्षण और सुधार के लिए समुदाय के कर्तव्यों को परिभाषित कर सकती है।

## भारतीय वन (संशोधन) अध्यादेश, 2017

भारतीय वन (संशोधन) अध्यादेश, 2017 ने बांस की खेती और व्यावसायिक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय वन अधिनियम, 1927 में संशोधन किया।

- **मुख्य संशोधन**
  - धारा 2(7) को संशोधित किया, जिससे बांस को अब पेड़ या लकड़ी के रूप में नहीं माना गया।
  - किसानों, उद्यमियों, और समुदायों द्वारा बांस की खेती को बढ़ावा देने की अनुमति दी।
  - वनों से अवैध रूप से बांस निकालने के खिलाफ कानूनी प्रावधानों को बनाए रखा।
  - वन विभागों को उल्लंघनकर्ताओं पर मुकदमा चलाने का अधिकार दिया।

## 5. वन (संरक्षण) अधिनियम (FCA), 1980 और वन संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2023

**वन (संरक्षण) अधिनियम (FCA), 1980** 25 अक्टूबर 1980 को लागू हुआ और यह पूरे देश में लागू है। जम्मू और कश्मीर राज्य को पहले जो छूट दी गई थी, उसे जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 95 के अनुसार हटा दिया गया है।

- **केंद्रीय सरकार की मंजूरी:** इस अधिनियम के तहत, किसी भी वन भूमि को गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए परिवर्तित करने से पहले केंद्रीय सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होती है, जैसा कि सरकारी अभिलेखों में दर्ज किया गया है।
- **उद्देश्य:** अधिनियम का मुख्य उद्देश्य गैर-वानिकी उपयोगों के लिए वन भूमि के अंधाधुंध विचलन को नियंत्रित करना है, ताकि देश की विकासात्मक आवश्यकताओं और इसके प्राकृतिक धरोहर की सुरक्षा के बीच संतुलन सुनिश्चित किया जा सके।
- **गैर-वन उद्देश्य:** "गैर-वन उद्देश्य" शब्द का अर्थ किसी भी वन भूमि या उसके किसी हिस्से को पुनर्वनीकरण के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए तोड़ना या साफ करना है।

### वन मंजूरी के लिए प्रक्रिया

- **5 हेक्टेयर तक वन भूमि का विचलन:** पर्यावरण और वन मंत्रालय के बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, लखनऊ, शिलांग, और चंडीगढ़ स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रत्येक मामले में 5 हेक्टेयर तक की वन भूमि को गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए विचलित करने की मंजूरी देने का अधिकार है, जिसमें खनन और अतिक्रमण की नियमितीकरण को छोड़कर।
- **5 से 40 हेक्टेयर के बीच के मामले:** 5 से 40 हेक्टेयर के बीच की वन भूमि के विचलन से संबंधित मामलों के लिए, मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय राज्य सलाहकार समिति के साथ परामर्श करके मंत्रालय को सिफारिशें देते हैं।
- **40 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रों का विचलन:** 40 हेक्टेयर से बड़े क्षेत्रों को शामिल करने वाले प्रस्ताव सीधे राज्य सरकारों द्वारा मंत्रालय को प्रस्तुत किए जाते हैं और उन्हें **वन सलाहकार समिति (FAC)** द्वारा जांचा जाता है, जो वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गठित की गई है।
- **राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्यों के भीतर वन क्षेत्र:** जो वन क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य का हिस्सा हैं, उन्हें केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्पष्ट मंजूरी से विचलित किया जा सकता है।

### वन संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2023

**वन संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2023 (FCAA)** 1 दिसंबर 2023 से लागू हुआ। FCAA को 26 जुलाई 2023 को संसद द्वारा पारित किया गया और 4 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। इस अधिनियम ने वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में संशोधन किया।

### वन संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2023 की मुख्य विशेषताएँ

- **वनों में गतिविधियों पर प्रतिबंध:** संशोधन अधिनियम ने उन गतिविधियों की सूची में और अधिक गतिविधियों को जोड़ा है जिन्हें गैर-वन उद्देश्यों से बाहर रखा गया है, जिनमें शामिल हैं:
  - वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत सरकार या किसी प्राधिकरण द्वारा स्वामित्व वाले चिड़ियाघर और सफारी, संरक्षित क्षेत्रों के अलावा वन क्षेत्रों में।
  - इको-पर्यटन सुविधाएं।
  - वनों के विकास को बढ़ाने के उद्देश्य से सिल्वीकल्चर संचालन।
  - केंद्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य उद्देश्य।
- **अधिनियम के अधीन भूमि:** संशोधन में दो प्रकार की भूमि का उल्लेख किया गया है जो अधिनियम के अधीन होगी:
  - भूमि जो भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत या किसी अन्य कानून के तहत वन के रूप में घोषित या अधिसूचित की गई हो।
  - भूमि जो पहली श्रेणी में शामिल नहीं है लेकिन 25 अक्टूबर 1980 के बाद सरकारी अभिलेख में वन के रूप में अधिसूचित की गई हो।
- **अधिनियम से छूट प्राप्त भूमि की श्रेणियाँ:** संशोधन अधिनियम ने कुछ प्रकार की भूमि को अधिनियम के प्रावधानों से छूट दी है, जिनमें शामिल हैं:
  - रेल लाइन या सार्वजनिक सड़क के साथ वन भूमि, जो सरकार द्वारा रखरखाव की गई हो, जो एक बस्ती तक पहुंच प्रदान करती हो, या एक रेल और सड़क की सुविधाओं के लिए, अधिकतम आकार 0.10 हेक्टेयर तक।
  - अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं, नियंत्रण रेखा, या वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ 100 किमी के भीतर की वन भूमि, जिसका उपयोग राष्ट्रीय महत्व या सुरक्षा के सामरिक रेखीय परियोजनाओं के निर्माण के लिए प्रस्तावित है।
  - सुरक्षा से संबंधित बुनियादी ढाँचे के निर्माण के लिए प्रस्तावित 10 हेक्टेयर तक की भूमि।
  - रक्षा से संबंधित परियोजनाओं, अर्धसैनिक बलों के शिविरों, या केंद्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट सार्वजनिक उपयोगिता परियोजनाओं (वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में 5 हेक्टेयर से अधिक नहीं) के निर्माण के लिए प्रस्तावित भूमि।
- **निर्देश जारी करने की शक्ति:** संशोधन ने केंद्रीय सरकार को अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए केंद्र, राज्य, या केंद्र शासित प्रदेश के तहत या द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य प्राधिकरण या संगठन को निर्देश जारी करने का अधिकार दिया है।

## 6. वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006

वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006, जिसे आधिकारिक रूप से अनुसूचित जनजातियाँ और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के रूप में जाना जाता है, भारत में

एक महत्वपूर्ण कानून है जिसका उद्देश्य वन-निवासी समुदायों के भूमि और अन्य संसाधनों पर अधिकारों को मान्यता देना और उन्हें स्थापित करना है। इस अधिनियम का प्रशासन भारत सरकार के **जनजातीय कार्य मंत्रालय** द्वारा किया जाता है।

## वन अधिकार अधिनियम, 2006 के उद्देश्य

FRA चार मुख्य प्रकार के अधिकार प्रदान करता है:

- **स्वामित्व अधिकार (Title Rights):** अधिनियम उन जनजातियों या वन निवासियों को स्वामित्व अधिकार प्रदान करता है जो 13 दिसंबर 2005 तक जमीन पर खेती कर रहे थे, जिसमें अधिकतम सीमा 4 हेक्टेयर तक है। स्वामित्व केवल उस भूमि पर सीमित है जो निर्दिष्ट तिथि के अनुसार वास्तव में खेती की जा रही है, अर्थात् कोई नई भूमि प्रदान नहीं की जाएगी। इसके अतिरिक्त, इस अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त भूमि को बेचा या स्थानांतरित नहीं किया जा सकता।
- **उपयोग अधिकार (Use Rights):** इन अधिकारों में लघु वन उपज (स्वामित्व सहित), चराई क्षेत्र, और गड़रिये मार्गों तक पहुंच शामिल है।
- **वन प्रबंधन अधिकार (Forest Management Rights):** अधिनियम समुदायों को वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा के अधिकार प्रदान करता है।
- **राहत और विकास अधिकार (Relief and Development Rights):** ये अधिकार अवैध बेदखली या जबरन विस्थापन के मामलों में पुनर्वास और वन संरक्षण के लिए प्रतिबंधों के अधीन बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित करते हैं।

## वन अधिकार अधिनियम, 2006 के लाभार्थी

- FRA के तहत पात्रता उन व्यक्तियों तक सीमित है जो मुख्य रूप से वनों में निवास करते हैं और अपनी आजीविका के लिए वनों और वन भूमि पर निर्भर हैं।
- पात्र होने के लिए, दावा करने वाले को या तो उस क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों का सदस्य होना चाहिए या 13 दिसंबर 2005 तक कम से कम 75 वर्षों या तीन पीढ़ियों से वन में निवास करना चाहिए।
- अधिनियम की **धारा 6** में यह तय करने के लिए एक पारदर्शी तीन-स्तरीय प्रक्रिया का वर्णन किया गया है कि किसे ये अधिकार दिए जाते हैं:
  - **ग्राम सभा** (ग्राम पंचायत नहीं, बल्कि पूर्ण ग्राम सभा) यह सिफारिश करती है कि कौन भूमि की खेती कर रहा है और कौन सी लघु वन उपज एकत्र की जा रही है।
  - इस सिफारिश की समीक्षा **तहसील** स्तर पर स्क्रीनिंग समितियों द्वारा की जाती है।
  - तहसील स्तर पर मंजूरी मिलने के बाद, **जिला स्तर की समिति** अंतिम निर्णय लेती है।

## वन अधिकार अधिनियम, 2006 की महत्वपूर्ण विशेषताएँ

- अधिनियम वनों में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों के वन अधिकारों और वन भूमि पर कब्जे को मान्यता देता है और उन्हें स्थापित करता है, जो पीढ़ियों से इन

वनों में निवास कर रहे हैं, लेकिन जिनके अधिकारों को रिकॉर्ड नहीं किया जा सका था।

- अधिनियम में वन अधिकारों की मान्यता के लिए वन भूमि पर कब्जे की सीमा निर्धारित की गई है, जो वास्तव में कब्जे में है और 4 हेक्टेयर से अधिक नहीं है।
- अधिनियम राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के भीतर अधिकार प्रदान करता है, जिन्हें **महत्वपूर्ण वन्यजीव आवास (Critical Wildlife Habitat - CWH)** के रूप में पुनःनामित किया गया है, हालांकि **बाघ आवास FRA** के दायरे से बाहर हैं।
- अधिनियम वन भूमि पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के सामूहिक कब्जे के तहत रहने और जीविका के लिए आत्म-कृषि के लिए वन भूमि पर अधिकार को मान्यता देता है।
- अधिनियम पारंपरिक रूप से गांव की सीमा के भीतर या बाहर एकत्र की गई लघु वन उपज के संग्रह, उपयोग, और निपटान के अधिकार प्रदान करता है।
- अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि जहां अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों को 13 दिसंबर 2005 से पहले उनके कानूनी पुनर्वास अधिकार के बिना अवैध रूप से बेदखल या विस्थापित किया गया है, वहां इन-सीटू पुनर्वास, जिसमें वैकल्पिक भूमि भी शामिल है, प्रदान किया जाएगा।
- **"लघु वन उपज"** शब्द का अर्थ सभी गैर-लकड़ी वन उपज को शामिल करना है, जैसे कि बांस, कोकून, शहद, मोम, लाख, तेंदू पत्ते, औषधीय पौधे, जड़ी-बूटियाँ, आदि।
- अधिनियम के तहत प्रदान किए गए अधिकार वंशानुगत हैं, लेकिन न तो इन्हें बेचा जा सकता है और न ही स्थानांतरित किया जा सकता है, और इनका पंजीकरण विवाहित व्यक्तियों के मामले में दोनों पति-पत्नी के नाम पर संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए।
- अधिनियम वन्यजीवों, वनों और जैव विविधता के संरक्षण, पुनरुत्थान, और पुनर्जनन के लिए जिम्मेदारियाँ भी लगाता है।
- वन भूमि के स्वामित्व का पंजीकरण दोनों पति-पत्नी के नाम पर संयुक्त रूप से किया जाना अनिवार्य है, जिससे वनों में रहने वाली महिलाओं को लाभ होता है।

## 7. प्रतिपूरक वनीकरण कोष (CAF) अधिनियम, 2016

**प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम, 2016** को 3 अगस्त 2016 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। इस अधिनियम के तहत भारत के सार्वजनिक लेखा में एक विशेष कोष की स्थापना की गई है, जो उन उपयोगकर्ता एजेंसियों से मुआवजा राशि एकत्र करता है जो खनन और औद्योगिक विकास जैसी व्यावसायिक गतिविधियों के लिए वन भूमि का उपयोग करती हैं।

- **राष्ट्रीय और राज्य कोष:**
  - **राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण कोष** केंद्रीय सरकार के नियंत्रण में है और इसका प्रबंधन **राष्ट्रीय प्राधिकरण** द्वारा किया जाता है। इस कोष की स्थापना भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद की गई थी।

- अधिनियम प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक लेखा के तहत एक **राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष** की स्थापना भी करता है।
- **राजस्व संग्रहण:**
  - इन कोषों में **प्रतिपूरक वनीकरण, वनों का शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV)**, और अन्य परियोजना-विशिष्ट भुगतान के लिए भुगतान प्राप्त होते हैं।
  - राष्ट्रीय कोष इन एकत्रित निधियों का 10% प्राप्त करता है, जबकि शेष 90% राज्य कोषों को आवंटित किया जाता है।
- **कोष का उपयोग:**
  - इन कोषों का मुख्य उपयोग वनों के आवरण के नुकसान की भरपाई के लिए वनीकरण, वन पारिस्थितिकी प्रणालियों के पुनर्जनन, वन्यजीव संरक्षण, और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया जाता है।
- **प्रबंधन प्राधिकरण:**
  - अधिनियम के तहत **राष्ट्रीय और राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण** स्थापित किए गए हैं, जो संबंधित राष्ट्रीय और राज्य कोषों का प्रबंधन करते हैं।

## प्रतिपूरक वनीकरण कोष नियम, 2018

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 10 अगस्त 2018 को प्रतिपूरक वनीकरण कोष मसौदा नियमों की अंतिम अधिसूचना जारी की।

## प्रतिपूरक वनीकरण कोष नियम, 2018 की मुख्य विशेषताएँ

- **कोष आवंटन:**
  - नियमों के अनुसार, एक वित्तीय वर्ष में राज्य द्वारा संचित कोष का **80 प्रतिशत** वनों और वन्यजीव प्रबंधन से संबंधित 12 गतिविधियों के लिए उपयोग किया जा सकता है। इन गतिविधियों में शामिल हैं:
    - सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनर्जनन और कृत्रिम पुनर्जनन (रोपण के माध्यम से)।
    - रोपण और वनों की सुरक्षा, वनों में कीट और रोग नियंत्रण, और वन अग्नि की रोकथाम और नियंत्रण संचालन।
    - वनों में मृदा और नमी संरक्षण, वन्यजीव आवास का सुधार, संरक्षित क्षेत्रों से गाँवों का स्थानांतरण, गैर-वन भूमि पर वन आवरण की पुनर्स्थापना और पुनरुद्धार, और पशु बचाव केंद्रों का संचालन और रखरखाव।
- **शेष 20 प्रतिशत:**
  - शेष **20 प्रतिशत** शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) का उपयोग वन और वन्यजीव से संबंधित बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, राज्य वन विभागों में कर्मियों की क्षमता निर्माण, और अन्य संबंधित

एजेंसियों और संगठनों के लिए किया जाता है।

## 8. राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (GIM)

राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (GIM) भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (NAPCC) के तहत एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसे फरवरी 2014 में शुरू किया गया था। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए भारत के वन आवरण की सुरक्षा, पुनर्स्थापना और वृद्धि करना है, साथ ही पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं में सुधार करना भी है।

### GIM के उद्देश्य

- **वन आवरण में वृद्धि:** GIM का लक्ष्य 5 मिलियन हेक्टेयर (mha) वन और वृक्ष आवरण में वृद्धि करना है और अतिरिक्त 5 mha वन और गैर-वन भूमि पर वन आवरण की गुणवत्ता में सुधार करना है।
- **पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं में सुधार:** मिशन जैव विविधता, जल संसाधनों, और बायोमास में सुधार पर ध्यान केंद्रित करता है, साथ ही कार्बन संचयन को भी बढ़ावा देता है।
- **आजीविका सुधार:** GIM का उद्देश्य वनों के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लगभग 3 मिलियन परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना है, जिससे वन-आधारित आजीविकाओं में सुधार हो सके।

### GIM का दृष्टिकोण

GIM एक समग्र और एकीकृत बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाता है, जिसमें स्थानीय समुदायों की योजना, निर्णय-निर्धारण और कार्यान्वयन में भागीदारी पर जोर दिया गया है। मिशन परिदृश्य दृष्टिकोण का उपयोग करता है, जिसमें बड़े लगातार क्षेत्रों में वन और गैर-वन भूमि का उपचार किया जाता है, ताकि इसके उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त किया जा सके। यह रणनीति सार्वजनिक और निजी भूमि दोनों के बेहतर प्रबंधन की अनुमति देती है।

### GIM द्वारा अपनाए गए तरीके

- **उप-मिशन:** GIM में पांच उप-मिशन शामिल हैं, जो वन गुणवत्ता बढ़ाने, पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापना, शहरी वृक्ष आवरण, कृषि वानिकी, और आर्द्रभूमि पुनर्स्थापना पर केंद्रित हैं।
- **समुदाय की भागीदारी:** स्थानीय समुदाय मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि पहल प्रासंगिक और टिकाऊ हों।
- **अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण:** GIM संसाधनों के इष्टतम उपयोग और परस्पर विरोधी गतिविधियों से बचने के लिए अन्य राष्ट्रीय मिशनों और योजनाओं के साथ संरेखित करने का प्रयास करता है।

### GIM के अपेक्षित लाभ

- **पर्यावरणीय:** GIM का उद्देश्य वन आवरण और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं में सुधार करना है, जिससे जैव विविधता में वृद्धि और जलवायु सहनशीलता में सुधार हो सके।



- **आर्थिक:** मिशन से स्थानीय समुदायों के लिए वन-आधारित आजीविकाओं में वृद्धि की उम्मीद है, जिससे गरीबी उन्मूलन में योगदान मिलेगा।
- **सामाजिक:** GIM वन प्रबंधन और संरक्षण में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने का प्रयास करता है।

## GIM की उपलब्धियाँ

हालाँकि मिशन की विशिष्ट उपलब्धियाँ अभी जारी हैं, GIM ने वन पुनर्स्थापना और आजीविका सुधार के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं। मिशन से कार्बन संचयन के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान देने की उम्मीद है।

## UPSC मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

1. राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (GIM) के उद्देश्यों और मुख्य विशेषताओं पर चर्चा करें। यह मिशन भारत के जलवायु परिवर्तन से निपटने और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं में सुधार के प्रयासों में कैसे योगदान करता है?
2. वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 का भारत में वन-निवासी समुदायों को सशक्त बनाने में क्या महत्व है? यह अधिनियम इन समुदायों के अधिकारों और वन संरक्षण की आवश्यकता के बीच कैसे संतुलन स्थापित करता है?
3. भारत में सतत वन प्रबंधन को बढ़ावा देने में प्रतिपूरक वनीकरण कोष (CAF) अधिनियम, 2016 की भूमिका का विश्लेषण करें। CAF नियम, 2018 की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं, और ये प्रतिपूरक वनीकरण कोषों के उपयोग को कैसे प्रभावित करती हैं?
4. 1894 की वन नीति से लेकर 2018 की मसौदा राष्ट्रीय वन नीति तक, भारत में वन नीतियों के विकास की जांच करें। भारत में वन प्रबंधन के उद्देश्यों और प्राथमिकताओं में समय के साथ क्या बदलाव आया है?
5. समकालीन वन संरक्षण आवश्यकताओं के संदर्भ में भारतीय वन अधिनियम, 1927 का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। भारतीय वन (संशोधन) अध्यादेश, 2017 ने आधुनिक चुनौतियों को संबोधित करने के लिए मूल अधिनियम को कैसे संशोधित किया है?
6. गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए वन भूमि के विचलन को विनियमित करने में वन (संरक्षण) अधिनियम (FCA), 1980 का क्या महत्व है? वन संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2023 इन विनियमों को कैसे और परिष्कृत करता है?
7. भारत में वन संरक्षण प्रयासों पर प्रतिपूरक वनीकरण कोष (CAF) के उद्देश्यों और प्रभाव का मूल्यांकन करें। इस अधिनियम के तहत एकत्र किए गए कोषों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में कौन सी चुनौतियाँ बनी हुई हैं?
8. वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 विभिन्न अधिकार प्रदान करता है, जिसमें स्वामित्व अधिकार, उपयोग अधिकार, और वन प्रबंधन अधिकार शामिल हैं। इन अधिकारों के कार्यान्वयन में क्या चुनौतियाँ हैं और उन्हें संबोधित करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं?